

**पुलिस**

**अधीक्षक**

**जनपद**

**आजमगढ़**



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 338/2024

**प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़**

दिनांक- 01.11.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 01.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

**01.थाना- बरदह: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।**

**पूर्व की घटना/इतिहास-**

अवगत करना है कि दिनांक- 09.10.24 को वादिनी मुकदमा के द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि वादिनी मुकदमा की पुत्री के साथ अभियुक्त आयुष कुमार पुत्र जेडी कुमार व एक अन्य साथी जिसका नाम पता अज्ञात है, के द्वारा घर में घुस कर मार-पीट व छेड़खानी की गयी थी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 09.10.24 को मु0अ0स0 321/24 धारा 115(2), 333, 74 बी0एन0एस0 व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1. आयुष कुमार पुत्र जेडी कुमार निवासी ग्राम साधु नगर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर तथा उसका साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 01.11.24 को उ0नि0 जुबेर अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आयुष कुमार पुत्र जेडी कुमार निवासी ग्राम साधु नगर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर को जिवली तिराहा शंकर जी मन्दिर के पास से समय 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।



**02.थाना – जीयनपुर: जमीनी विवाद को लेकर गोली मारकर घायल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस बरामद।**

**पूर्व की घटना/इतिहास–**

अवगत कराना है कि दिनांक 01.11.2024 को वादी मुकदमा इन्द्रेश सिंह पुत्र रामसूरत सिंह निवासी ग्राम सतना (बलुआ) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी प्रदीप पुत्र प्रेमचन्द द्वारा जमीनी विवाद व पुरानी रंजीश को लेकर बादी मुकदमा के भांजे अक्नीश सिंह पुत्र कर्मराज सिंह ग्राम इरदहा कोलवा नई बस्ती थाना रौनापार जनपद आजमगढ को कट्टा से गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया है एवं वादी मुकदमा के चाचा धूपनाथ व माता किसमती को गाली गलौज देते हुए जान मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 492/2024 धारा 109/352/351(2)BNS बनाम -1.प्रदीप पुत्र प्रेमचन्द नि0 सतना (बलुआ) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ के पंजीकृत हुयी जिसकी विवेचना उ0नि0 जाफर खान द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के दौरान गिरफ्तारी/ बरामदगी मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्मस एक्ट की बढोत्तरी की गयी। विवेचना के क्रम में।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

आज दिनांक 01.11.2024 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. प्रदीप पुत्र प्रेमचन्द नि0 सतना (बलुआ) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष को सतना बाजार मोड़ से समय करीब 05.10 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. प्रदीप पुत्र प्रेमचन्द नि0 सतना (बलुआ) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष

**बरामदगी का विवरण:-**

एक अदद पिस्टल .32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर व एक अदद खोखा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 152/2021 धारा 323/325/504 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 312/2024 धारा 115(2)/ 351(2)/ 352 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ



**03. थाना- महाराजगंज: अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।**

अवगत कराना है कि दिनांक- 01.11.24 को उ0नि0 धीरेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक आरोपी 1.कमलेश पुत्र साधू निवासी नौबरार त्रिपुरारपुर आइमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष को एक अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 03 अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा के साथ समय 01.50 बजे बजे घटनास्थल नौबरार त्रिपुरारपुर आयमा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना महाराजगंज पर मु0अ0सं0 419/24 धारा 3/25 A. ACTपंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।



**प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 01.11.2024, यातायात माह नवम्बर-2024 शुभारम्भ**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक- 01/11/2024 को समय 12:00 बजे से पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में यातायात माह- नवंबर 2024 का शुभारंभ किया गया। यातायात माह नवंबर 2024 के दौरान सड़क सुरक्षा मानकों का पालन करने के पांच आवश्यक स्तंभ 5E -

1- Education (शिक्षा)

2- Enforcement (प्रवर्तन)

3- Engineering (अभियांत्रिकी)

4. Emergency care (आपातकालीन देखभाल)

5. Environment (पर्यावरण) जिनका सड़क दुर्घटना और मृत्यु को कम करने में विशिष्ट योगदान होता है, के बारे में जानकारी दी गयी:

**1. शिक्षा-** यातायात माह 2024 के दौरान स्कूलों/कालेजों में छात्र-छात्राओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जिस हेतु निबन्ध, चित्रकला, प्रतियोगिता, क्विज एवं नुक्कड़ नाटक आदि स्कूलों द्वारा कराये जायेंगे। आमजन एवं वाहन चालकों हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। ट्रक चालकों, ट्रैक्टर मालिकों/चालकों एवं हाइवें के आस-पास के निवासियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

**2. प्रवर्तन-** निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने, गलत दिशा से वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने, आदि के सम्बन्ध में अभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी।

**3. अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग)-** के अन्तर्गत नेशनल हाइवें/स्टेट हाइवें/एक्सप्रेस-वे पर ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों का चिन्हांकन कर जागरूकता फैलायी जायेगी। अवैध कट्स बंद कराये जायेंगे एवं डिवाइडर पर संकेतक लगाये जायेंगे।

4. आपातकालीन देखभाल के दौरान फर्स्ट एड प्रशिक्षण एवं गुड सेमेरिटन (नेकदिल इंसान) जो दुर्घटना के एक घण्टे के अन्दर (गोल्डन आवर) में घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाता है, के बारे में बताया गया।

**5. पर्यावरण-** के सम्बन्ध में माडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न एवं हूटर का उपयोग करने वाले एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ द्वारा जानकारी दी गयी। स्वागत उद्बोधन सहायक पुलिस अधीक्षक अनन्त चन्द्रशेखर द्वारा किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा द्वारा किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक शर्मा, सहायक रोडवेज प्रबंधक अभिनव सोनकर एवं प्रभारी यातायात उप-निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें समस्त थाना प्रभारी गुगल-मीट के माध्यम से जुड़े तथा यातायात उप-निरीक्षक गण एवं मुख्य आरक्षीगण एवं होमगार्ड्स द्वारा प्रतिभाग किया गया।





**जनपद आजमगढ़**

**“मिशन शक्ति फेज-5”**

**दिनांक:-01.11.2024**

**मिशन शक्ति के विशेष अभियान ( फेज-05 ) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं/बालिकाओं को किया जागरूक ।**

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के दृष्टिगत:-

आज दिनांक 01.11.2024 को जनपद आजमगढ़ के समस्त थानो में गठित मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं एवं मुद्दों पर समझ बनाना व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पॉक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गयी व महिला हिंसा से संबंधित अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वीमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। मिशन-शक्ति-अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा पुलिस की पाठशाला/चौपाल लगाकर जागरूकता के क्रम में महिलाओं/छात्राओं को जागरूक किया गया।



# आजमगढ़ पुलिस



मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिलाओं/छात्राओं को विभिन्न हेल्प लाइन नम्बरों के विषय में जागरूक किया गया।

आजमगढ़ पुलिस

मिशन शक्ति

मारी सुरक्षा  
मारी सम्मान  
मारी स्वावर्धन

1090	181	1076	112
महिला सुरक्षा हेल्प लाइन	महिला शिकायत हेल्प लाइन	सामाजिक न्याय हेल्प लाइन	एन.डी.ए. हेल्प लाइन
1098	102	108	1930
महिला शिकायत हेल्प लाइन	महिला शिकायत हेल्प लाइन	महिला शिकायत हेल्प लाइन	महिला शिकायत हेल्प लाइन



@azamgarhpolicе

azamgarhpolicе

Azamgarh police

